—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 185/2023

उनवान

देवी पुत्र लादू जाति रावत निवासी ग्राम भवानीखेडा, नसीराबाद

——वादी :—जरियें अधिवक्ता श्री रमेश रावत

बनाम

1. कालू पुत्र मंगला
2. गंगा देवी पत्नी पाचूं सिंह,
3. गोपी सिंह पुत्र रतन सिंह,
4. निर्मला पुत्री पांचू सिंह,
5. परमेश्वर पुत्र पांचू सिंह,
6. बरजीदेवी पत्नी गोकल सिंह,
7. बीरी पुत्री गोकल सिंह,
8. प्रेमी पत्नी भागू,
9. मोहन पुत्र भागू,
10. गोरू पुत्र भागू,
11. छोटू पुत्र भागू,
12. सीमा पत्नी मान सिंह,
13. सीमा,
14. सैम्पा,
15. सीता पुत्रीया भागू,
16. भागचंन्द पुत्र गोकल सिंह,
17. सोहन पुत्र भोला,
18. देवी पुत्र भोला,
19. गुलाबी पुत्री भोला,
20. मोडा पुत्र मंगला,
21. मोनू पुत्री गोकल सिंह,
22. रमेश पुत्र छोगा,
23. लक्ष्मण पुत्र लादू सिंह,
24. सेठा पुत्री पांचू सिंह,
25. सीमा पुत्री गोकल सिंह,
26. सोनू पुत्री गोकल सिंह,
27. सीता देवी पत्नी गोकल [illegible]खेडा, नसीराबाद,
28. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसी[illegible]

——प्रतिवादीगण [illegible] 28 जरियें राज. पैरोकार

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–　　　　दिनांक :– 30/4/25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भवानीखेडा के चौसाला खसरा नम्बर 974 रकबा 0–1–0 के वंर्किग खसरा नम्बर 1266 के हाल खसरा नम्बर 1421 रकबा 0.01 चौसाला जमाबदी में लादू पुत्र शेरा के नाम खातेदारी दर्ज था। वादी का उक्त चाह पर हिस्सा निहित है। लादू की मुत्यु होने पर उक्त चाह का उपयोग वादी करता चला आ रहा है। राजस्व अधिकारियों व बंदोबस्त विभाग के कार्मिको द्वारा वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में वादी के पिता का नाम तर्क कर दिया गया, जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे हे तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा हैं। अतः आराजी मुतनाजा पर वादी का नाम अंकित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 27 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश कना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम भवानीखेडा के चौसाला खसरा नम्बर 974 रकबा 0–1–0 के वंर्किग खसरा नम्बर 1266 के हाल खसरा नम्बर 1421 रकबा 0.01 चौसाला जमाबदी में वादी के पिता लादू पुत्र शेरा व अन्य व्यक्तियों की सहखातेदारी में दर्ज था। वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में उक्त चाह में वादी अथवा उसके पिता का नाम दर्ज नही किया गया। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज ही दोहराना था। हाल राजस्व अभिलेख में वाी के पिता का नाम बिना किसी आदेश के तर्क किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में उपस्थित होकर कोई खण्डन पेश नही किया गया है। राज. पैरोकार ने भी वाद का जवाब नही दिया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से वाद के कथनों की ताईद होती है। वादग्रस्त चाह का हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादी दुरूस्ती का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम भवानीखेडा के हाल खसरा नम्बर 1421 रकबा 0.01 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी का नाम चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2023 से 2026 में दर्ज लादू पुत्र शेरा के स्थान पर दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:11:41 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

देवी बनाम कालू वगै.

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 185/2023
पेश करने की दिनांक –04.12.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक रमेश रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम भवानीखेडा के हाल खसरा नम्बर 1421 रकबा 0.01 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी का नाम चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2023 से 2026 में दर्ज लादू पुत्र शेरा के स्थान पर दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक–––––– को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 30 माह 4 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वज़ह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:11:41 IST
Reason: SelfAttested